

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: अ०सां०नि०/स्था०-12-09/2018 ..... 19 ..... पटना, दिनांक..... 05-02-19

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह भा०प्र०से०  
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।  
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर,  
बक्सर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, अरवल,  
कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा,  
पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान,  
सुपौल, एवं वैशाली।

विषय:-

केन्द्रीय योजनागत योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना" शीर्ष के  
अन्तर्गत छठी लघु सिंचाई गणना, संदर्भ वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में  
₹1,65,54,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय, लघु सिंचाई (सांख्यिकी)  
प्रभाग के पत्र संख्या-V-57015/1/2018.MI(Stat)143 दिनांक-06.08.2018 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना,  
छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 हेतु ₹7,88,66,460/- (सात करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ  
हजार चार सौ साठ रुपये) एवं जल निकाय की गणना हेतु 6,61,22,975/- (छः करोड़ एकसठ लाख बाईस  
हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये) का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त पत्र की कंडिका 2(ii) में  
छठी लघु सिंचाई गणना से संबंधित जल निकाय की गणना एवं इससे संबंधित प्रपत्रों के मुद्रण एवं  
प्रशिक्षण हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹1,70,00,000/- (एक करोड़ सतर लाख रुपये) विमुक्त करते हुए  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. कंडिका-01(ii) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा  
उपलब्ध/विमुक्त की गई राशि ₹1,70,00,000/- (एक करोड़ सतर लाख रुपये) में से संलग्न विवरणी के  
अनुसार व्यय करने के लिए आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु  
शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष- 0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना  
शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050405 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः  
सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा संबंधित सभी  
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन आदेश  
की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना  
होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के  
लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।






6. प्रत्येक परिस्थिति में मदवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ प्रत्येक माह की 05वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-1480 दिनांक 17.07.2018 के आलोक में नियमानुसार छठी लघु सिंचाई गणना एवं जल निकाय गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 के सम्पादन हेतु स्मार्ट फोन के क्रय एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु डाटा रिचार्ज पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा।

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा०

  
उप निदे०(लेखा)

  
सं०निदे०(प्र०)

विश्वासभाजन

  
निदेशक

ज्ञापांक .....19...../पटना, दिनांक .....05-02-19.....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक .....19...../पटना, दिनांक .....05-02-19.....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना  
2. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक .....19...../पटना, दिनांक .....05-02-19.....

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)  
2. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सहायक निदेशक (लघु सिंचाई गणना) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवंटन आदेश सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

  
निदेशक



## विवरणी

केन्द्र प्रायोजित योजना मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उपशीर्ष-0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन हेतु व्यय विवरणी।

विपत्र कोड:-3454022050405

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रखंडों की संख्या	13-01 कार्यालय व्यय	20-01 प्रशिक्षण	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	52-01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।	0	0	0	0	16020000	16020000
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
2	अररिया	9	9000	0	0	0	9000
3	औरंगाबाद	11	11000	0	0	0	11000
4	बांका	11	11000	0	0	0	11000
5	बेगूसराय	18	18000	0	0	0	18000
6	कैमूर	11	11000	0	0	0	11000
7	भागलपुर	16	16000	0	0	0	16000
8	भोजपुर	14	14000	0	0	0	14000
9	बक्सर	11	11000	0	0	0	11000
10	पूर्वी चम्पारण	27	27000	0	0	0	27000
11	प. चम्पारण	18	18000	0	0	0	18000
12	दरभंगा	18	18000	0	0	0	18000
13	गया	24	24000	0	0	0	24000
14	गोपालगंज	14	14000	0	0	0	14000
15	जमुई	10	10000	0	0	0	10000
16	जहानाबाद	7	7000	0	0	0	7000
17	अरवल	5	5000	0	0	0	5000
18	कटिहार	16	16000	0	0	0	16000
19	खगड़िया	7	7000	0	0	0	7000
20	किशनगंज	7	7000	0	0	0	7000
21	लखीसराय	7	7000	0	0	0	7000
22	मधेपुरा	13	13000	0	0	0	13000
23	मधुबनी	21	21000	0	0	0	21000
24	मुंगेर	9	9000	0	0	0	9000
25	मुजफ्फरपुर	16	16000	0	0	0	16000
26	नालंदा	20	20000	0	0	0	20000
27	नवादा	14	14000	0	0	0	14000
28	पटना	23	23000	0	0	0	23000
29	पूर्णिया	14	14000	0	0	0	14000
30	रोहतास	19	19000	0	0	0	19000
31	सहरसा	10	10000	0	0	0	10000
32	समस्तीपुर	20	20000	0	0	0	20000

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रखंडों की संख्या	13-01 कार्यालय व्यय	20-01 प्रशिक्षण	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	52-01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	योग
33	सारण	20	20000	0	0	0	20000
34	शेखपुरा	6	6000	0	0	0	6000
35	शिवहर	5	5000	0	0	0	5000
36	सीतामढ़ी	17	17000	0	0	0	17000
37	सीवान	19	19000	0	0	0	19000
38	सुपौल	11	11000	0	0	0	11000
39	वैशाली	16	16000	0	0	0	16000
	कुल	534	534000	0	0	16020000	16554000

(एक करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार रुपये) मात्र।

  
बजट सहायक

  
प्र० पदा०

  
उप निदे० (लेखा)

  
संयुक्त निदे० (प्र०)

  
निदेशक